संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश
ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004
☎ – (0755) 2551199, 2552003
फ़ैक्स – 0755–2551387

क्र.प्राविवि / स.वि.स–11 / संविसं / 2014 / 4762. भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2014

तत्काल / महत्वपूर्ण / समय–सीमा

प्रति,

1. **संभागायुक्त** (समस्त), मध्य प्रदेश
2. **कलेक्टर** (समस्त), मध्य प्रदेश
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** (समस्त), जिला पंचायत, मध्य प्रदेश
4. **आयुक्त** (समस्त), नगर निगम, मध्य प्रदेश
5. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** (समस्त), नगर पालिका / नगर पंचायत, मध्य प्रदेश
6. **राज्य स्तरीय प्रमुख,** समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
7. **राज्य स्तरीय प्रमुख,** समस्त निजी क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
8. **अध्यक्ष,** समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश
9. **प्रबंध संचालक,** मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
10. **अग्रणी जिला प्रबंधक** (समस्त), मध्य प्रदेश

विषयः– **प्रधान मंत्री जन धन योजना (सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन कार्यक्रम) का क्रियान्वयन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत्।**

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र (1) क्र.प्राविवि / स.वि.स–11 / संविसं / 2014 / 3845 दि. 11.08.2014, (2) क्र.प्राविवि / स.वि.स–11 / संविसं / 2014 / 3973 दि. 21.08.2014, (3) क्र.प्राविवि / स.वि.स– 11 / संविसं / 2014 / 4166 दि. 06.09.2014, (4) क्र.प्राविवि / स.वि.स–11 / संविसं / 2014 / 4595 दि. 21.10.2014 एवं (5) क्र.प्राविवि / स.वि.स–11 / संविसं / 2014 / 4734 दि. 03.11.2014

=0=

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रधान मंत्री जन धन योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। दिनांक 07–11–2014 को अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित हैः–

1. प्रत्येक जिले में कार्यरत समस्त ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के समस्त ग्रामों में निवासरत परिवारों का बैंक द्वारा शतप्रतिशत सर्वे पूर्ण होने पर बगैर बैंक खाते वाले परिवारों को चिन्हित किया जाने तथा चिन्हित परिवारों के बैंक खाते खोले जाने तक का कार्य पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1** अनुसार प्रमाण–पत्र जारी करना होगा। ग्राम पंचायत से संबंधित बैंक, जिसे संबंधित एस0एस0ए0 आवंटित है, द्वारा ग्राम पंचायत से प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाकर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

2. प्रत्येक जिले में कार्यरत समस्त नगरीय निकायों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के समस्त वार्ड में निवासरत परिवारों का बैंक द्वारा शतप्रतिशत सर्वे पूर्ण होने पर बगैर बैंक खाते वाले परिवारों को चिन्हित किया जाने तथा चिन्हित परिवारों के बैंक खाते खोले जाने तक का कार्य पूर्ण करने पर वार्ड प्रभारी / जोनल अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–2** अनुसार प्रमाण–पत्र जारी करना होगा। संबंधित बैंक, जिसे वार्ड आवंटित है, द्वारा वार्ड प्रभारी / जोनल अधिकारी से प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाकर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

3. प्रत्येक जिले में कार्यरत समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों से प्राप्त प्रमाण–पत्र के आधार पर जिला कलेक्टर एवं अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से **परिशिष्ट–3** अनुसार प्रमाण–पत्र जारी करना होगा।

4. जिले से प्राप्त प्रमाण–पत्र के आधार पर पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 03–11–2014 के अनुरूप जिलों का मूल्यांकन निर्धारित समयावधि में किया जायेगा। निर्धारित समयावधि में जिले से प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्राप्त नहीं होने की दशा में जिला अपात्र हो जायेगा। अतः, परिपत्र दिनांक 03–11–2014 से जारी समय–सीमा का ध्यान अवश्य रखा जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करने का कष्ट करें जिससे कि इस योजना का क्रियान्वयन निर्धारित समयावधि में करते हुए मध्य प्रदेश राज्य देश में सर्वप्रथम राज्य बन सके।

संलग्नः–उक्तानुसार।

(विवेक अग्रवाल)
मिशन डायरेक्टर
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त

पृ.क्र.प्राविवि/स.वि.स–11/संविसं/2014/4763 भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2014

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नईदिल्ली की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
7. मुख्य महाप्रबंधक ,नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
8. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मिशन डायरेक्टर
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त

परिशिष्ट–1

कार्यालय .... ग्राम पंचायत

....विकास खण्ड

जिला ....

क........................ / 2014 दिनांक .... / .... / 2014

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि .... (ग्राम पंचायत का नाम) के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी ग्रामों को .... (बैंक का नाम) को आवंटित .... (सब–सर्विस एरिया / एसएसए का नाम) किया गया था। इस ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में निवासरत समस्त परिवारों के बैंक द्वारा दिनांक .... तक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र के तहत् आने वाले ग्रामों में निवासरत किसी भी परिवार का बैंक खाता खोला जाना शेष नहीं है।

हस्ताक्षरः.....................................
पंचायत सचिव

हस्ताक्षरः.....................................
सरपंच

परिशिष्ट—2

कार्यालय .... नगर परिषद् / नगर पंचायत / नगर निगम

जिला ....

क्र........................ / 2014 दिनांक .... / .... / 2014

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि .... (नगर परिषद् / नगर पंचायत / नगर निगम का नाम) के कार्यक्षेत्र में .... (बैंक का नाम) को वार्ड क्रमांक .... आवंटित किया गया था। इस वार्ड में निवासरत समस्त परिवारों के दिनांक .... तक बैंकों द्वारा खाते खोले जा चुके हैं। इस वार्ड के कार्यक्षेत्र के तहत् निवासरत् किसी भी परिवार का बैंक खाता खोला जाना शेष नहीं है।

हस्ताक्षरः......................................

वार्ड प्रभारी / जोनल अधिकारी

कार्यालय कलेक्टर, जिला ....

क........................./2014 दिनांक ..../............/2014

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि .... (जिले का नाम) में कार्यरत विभिन्न बैंकों को आवंटित कुल .... (संख्या) सब–सर्विस एरिया के समस्त ग्रामों में निवासरत सभी परिवारों के बैंकों द्वारा दिनांक .... तक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। जिले के समस्त सब–सर्विस एरिया क्षेत्र के तहत् आने वाले समस्त ग्रामों के किसी भी परिवार का बैंक खाता खोला जाना शेष नहीं है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि .... (जिले का नाम) में कार्यरत विभिन्न बैंकों को आवंटित नगरीय क्षेत्र के कुल .... (संख्या) वार्ड के कार्यक्षेत्र में निवासरत समस्त परिवारों के बैंकों द्वारा दिनांक .... तक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों के तहत् आने वाले समस्त वार्ड में निवासरत किसी भी परिवार का बैंक खाता खोला जाना शेष नहीं है।

हस्ताक्षरः......................................	हस्ताक्षरः......................................
अग्रणी जिला प्रबंधक	कलेक्टर